भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2977
(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2977. श्री किशन कपूरः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत एक दशक से घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या कितनी हैं; और
(ख) उक्त प्रतिष्ठानों के घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"सरकारी कंपनी का आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इकावन प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है, और इसमें वह कंपनी शामिल है जो ऐसी किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है"।

सीपीएसई उन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों को संदर्भित करता है जो संसद की विभिन्न संविधियों के तहत स्थापित हैं जिनमें इक्विटी में 50% से अधिक हिस्सा केंद्र सरकार के पास होता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय सीपीएसईएस को प्रशासित नहीं करता है। तथापि, लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के आठ प्रचालनरत उद्यम हैं जो वर्ष 2012-13 से लगातार घाटे में चल रहे हैं।

(ख): लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यमों के निवेश और उससे लगने वाले समय के लिए विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय पुनर्संरचना, संयुक्त उद्यमों का गठन, आधुनिकीकरण और उन्नत विपणन कार्यनीतियां आदि शामिल हैं। सरकार ने फरवरी 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) संबंधी नीति को भी अधिसूचित किया है। इसलिए, केवल नई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नीति के प्रावधानों के अनुसार ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।

******